

(3)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 23/18

Complaint or report made on
Name and address of the Complainant
.....
.....

Name, parentage, caste and address of accused
उदय शर्मा उम प्रसा शर्मा उम पंचवर्ष निवासी
पंचवर्षा गांव बहारजपुरा

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 5/1/17 मुकाम
मेडवरी प्रेम्हरी में शराब विक्रय पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 26 लीटर/पाव/बोतल शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

5/1/17

हस्ता
मायिक नजिस्ट प्रथम अंश
लिखत अंश

हस्ता
मायिक नजिस्ट प्रथम अंश
लिखत अंश

// निर्णय //


(आज दिनांक 31/1/18 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 10000 शर्तों में 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति 2C मीटर/पाव/बेतल 20 हजार शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार अपील की जावे। अपील को ही मांगे अपील न्यायालय के आदेश का


मार्गिक पंजिस्टर प्रथम दर्जा
विशेष जज